2019/00190

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्रीमती मतुदेवी पत्नी स्व.श्री बाबुलाल मीणा
जाति मीणा
निवासी वार्ड नम्बर 25 सार्दलपुरा कॉलोनी, सिरोही
तहसील सिरोही जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
सहायक निदेशक सामजिक न्याय
एवं अधिकारिता विभाग,सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 15 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.07.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना से सहायता दिलवाने हेतु निवेदन किया था, लेकिन एक माह पश्चात् भी मुझें न तो सहायता मिली है एवं न ही सूचना। अतः सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 08.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना से सहायता दिलवाने हेतु निवेदन किया था, लेकिन एक माह पश्चात् भी उसे न तो सहायता मिली है एवं न ही सूचना। समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। सहायक निदेशक सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार में नही है । अपीलांट की अपील परिपोषीय नही होने से अस्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner